

पंचवर्षीय योजनाओं का गरीबी उन्मुलन में योगदान औरैया जनपद के संदर्भ में

डॉ. पदमा त्रिपाठी^{*}

सारांश

वास्तव में गरीबी निवारण को आर्थिक आयोजन का एक मुख्य लक्ष्य पांचवी योजना से ही माना जाने लगा। सत्तर के दशक के दौरान ग्रामीण गरीबी जनता के लिये बहुत से विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये जिनमें प्रमुख थे- लघु किसान विकास कार्यक्रम, सीमान्त किसान व खेतिहर मजदूर विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्यता क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार का प्रजोर कार्यक्रम, आरम्भिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इनमें से कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जो व्यापक हो और पूरे देश में चल रहा हो। हाँ कुछ क्षेत्रों में एक ही वर्ग के लोगों के लिये इनमें से एक से अधिक कार्यक्रम चल रहे थे। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों की लम्बे काल तक रोजगार प्रदान करने की सामर्थ नहीं थी। क्योंकि ये दीर्घकालीन नीति का हिस्सा नहीं थे। वास्तव में ये कार्यक्रम आर्थिक सहायता बांटने का माध्यम बनकर रह गये। इसलिये ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता महसूस की गयी जो न केवल देश व्यापी हो बल्कि ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार कर सके। इस उददेश्य को ध्यान में रखकर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम चालू किये गये।

प्रस्तावना

ग्रामीण खेतिहर रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य भूमिहीन कृषकों को रोजगार प्रदान करना था। हालांकि इन कार्यक्रमों के अधीन लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध है फिर भी यह बताना कठिन है कि गरीबी निवारण क्षेत्र में इन कार्यक्रमों ने क्या सफलता प्राप्त की है।

ISSN: 2581-3501

*एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, के.के.पी.जी. कालेज, इटावा। Correspondence E-mail Id: editor@eurekajournals.com वैसे तो सरकार के पास सबसे बड़ी कार्य योजना गरीबी उन्मूलन ही है। जो योजनायें बनाई गई हैं उनमें प्रमुख निम्न हैं जिनका सम्बन्ध गरीबी निवारण से है।

बीस सूत्री कार्यक्रम (1982)

आम जनता को श्खहाल बनाने तथा गरीबी के बंधन से मुक्त कराने के लिये इस कार्यक्रम की श्रुआत की गई थी। इनमें मुख्य उद्देश्य थे- कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करना, गाँव में मकान की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास, बंधुआ मजद्री का अन्त तथा पुनर्वास, सिंचाई स्विधाओं का विस्तार। इस कार्यक्रम का प्रभाव अध्ययन क्षेत्र में यह रहा कि उस समय 1982 में कृषि मजदूरी बहुत कम थी वह बढ़ी, बंधुआ मजदूरी घटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीबों को लाभ हु आ, गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिये अन्दान मिला तथा सिंचाई के स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने की स्विधा मिली जिससे इस क्षेत्र में जीवन का स्तर पहले से ऊँचा हु आ। शिक्षा, स्वास्थ्य स्विधाओं में बढ़ोत्तरी हु ई।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

पाँचवीं योजना में निर्धन लोगों को ऊँचा उठाने के लिये यह कार्यक्रम लागू किया गया। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें तथा विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, पोषाहार आदि पर जोर दिया गया। इस योजना के कारण न केवल अध्ययन हेतु चुने गये क्षेत्रों में विकास हुआ।

प्रारम्भिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा का परिणाम ठीक आया। ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र का लाभ हु आ, सड़कें तथा विद्युतीकरण की व्यवस्था तथा आवास और पोषाहार की स्थिति जनपद में ठीक हुई जिससे निर्धनता से कैसे बचा जाए जागरूकता बढ़ी और इसका निवारण हु आ।

अन्नपूर्णा

यह योजना सन् 2000 में लागू हुई। इस योजना का उद्देश्य विरष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इसमें विरष्ठ नागरिकों को 10 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न रियायती दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना का लाभ गरीबों को मिला जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई और वे रोजगार के साधनों की तरफ आकर्षित होकर गरीबी निवारण का कारक बने।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

निर्धनता रेखा के नीचे रह रहे वृद्ध जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक थी उनको 75 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। यह राशि 1 अप्रैल 2006 से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह वर्तमान में 18 राज्यों में 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। बाकी राज्यों में 200 रुपये प्रतिमाह 60 वर्ष से अधिक आयु वालों को पेंशन दी जा रही है। इसके अन्तर्गत 40 से 59 वर्ष की विधवाओं को रु. 300 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना में निर्धन रेखा के नीचे जीवन यापन कर एक परिवार के एक मुखिया कमाऊ व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 से 64 वर्ष के बीच हो की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ऐसे

परिवार को रु. 10000 की एक मुश्त आर्थिक मदद दी जाती है।

मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत निर्धन गर्भवती महिला को पहले दो बच्चों पर 300 म्पये प्रतिमाह वितीय सहायता देती है।

उपर्युक्त तीनों योजनायें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं जिनका प्रत्यक्ष रूप से जनपद के सभी विकास खण्ड में ग्रामीण तथा शहरी गरीबों को लाभ मिला। वृद्धों तथा विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिला तथा पुरुष लाभार्थियों की संख्या इस जनपद में अधिक है जिससे जो पारिवारिक आय वृद्धावस्था में होने वाले खर्चे में समाप्त होती थी, वह अब सरकार से मिलने के कारण धन, शिक्षा, कुपोषण, स्वास्थ्य तथा अन्य मदों में बंट गई है। इससे जन श्री योजना एक सामूहिक बीमा योजना है इसे वर्ष 2000 में शुरु किया गया है। इसी की प्रीमियम राशि रु. 200 है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें पॉलिसी धारक को मृत्य या शारीरिक अयोग्यता पर क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है जिसका लाभ भी जनपद औरैया के लोगों को हुआ है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को 2 रु. प्रति किलो गेहूं तथा 3 रु. प्रति किलो की दर से चावल बेचा जाता है। एक महीने में अधिकतम 35 किलो अनाज रियायती दर पर बेचा जाता है। वर्ष 2009-10 में 2.43 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला जिससे गरीबी उन्मूलन में सहायता मिली।

लिक्षित सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ऐसे गरीब परिवार जो अन्त्योदय योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन्हें 35 किलो अनाज रियायती दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। गेहूं 4.15 रुपये प्रति किलो तथा चावल 5.65 रुपये प्रति किलो प्राप्त कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से शुरू हुई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बी.पी.एल. श्रमिकों का 30,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया गया। बीमा के 750 रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात में वहन करेगी। इसका लाभ इस जनपद के लोगों ने लिया जिससे व्यक्तिगत मजबूती आयी।

भारत निर्माण योजना 2005-06 में शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाओ। गांवों की सभी सड़कों को जोड़ना, टेलीफोन, बिजली, सुरक्षित पेय उपलब्ध कराना, सिंचाई की सुविधायें बढ़ाना, आवासीय घर बनवाना। इस योजना का वास्तव में लाभ गांव स्तर पर लोगों को मिला। उनका जीवन स्तर जँचा हुआ, गरीबी निवारण में सहायता मिली।

इन्दिरा आवास एवं राजीव आवास योजना-इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवारों, विधवा स्त्रियों, विकलांग लोगों को घर बनाने व मकान सुधार करने हेतु वितीय सहायता जिला स्तर पर प्रदान करना। औरैया जनपद में लोगों को यह सुविधा प्राप्त हुई। इस जनपद में 2334 लाभार्थी लाभान्वित हुए। भारत में 2005-06 से 2008-09 के मध्य चार वर्षां में लगभग 72 लाख घरों का निर्माण किया गया। राजीव गांधी आवास योजना का लाभ शहरी गरीबों को मिला जो झुग्गी झोपड़ी में रहकर अपना काम चला रहे थे।

राष्ट्रीय निर्धनता व योग्यता छात्रवृति- इसमें मेधावी छात्रों को प्रतिवर्ष कक्षा-9 से 12 तक 6000 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष वजीफा मिलता है जिससे निर्धन घरों के मेधावी छात्र लाभान्वित होते हैं। प्रत्येक वर्ष 1,00,000 छात्रों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने रोजगार प्रदान को गरीबी उन्मूलन का प्रमुख माध्यम माना है जिसके लिये बी.पी.एल. धारकों को विभिन्न प्रोग्राम दिये हैं जिसमें प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं जिनसे गरीबी निवारण में पूरा सहयोग मिला है-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी समाप्त करने के लिये 1999 में यह योजना लागू की गई। इस योजना में व्यक्तिगत तथा सामूहिक तौर पर छोटे-छोटे उदयोग उदयम स्थापित करने हेत् सरकार ने ऋण तथा अन्दान की व्यवस्था की है। व्यक्तिगत उदयम हेत् लागत का 30 प्रतिशत तथा स्वयं समूहों हेत् 50 प्रतिशत अन्दान सरकार प्रदान करती है। इस योजना का परिणाम यह रहा कि सन 2010 तक लगभग 40 लाख स्वयं समूहों तथा सहायता 154.87 स्वरोजगारी लाभान्वित हुए हैं। जनपद औरैया में 10 स्वयं सहायता समूह छोटे-छोटे रोजगार खोलकर निर्धनता निवारण की प्रक्रिया में लाभ ले रहे हैं। लगभग जनपद औरैया में

4014 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था जिसमें 3798 लोग लाभान्वित हुए।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना- सन् 2001 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त मजदूरी के अवसर प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा, स्थाई सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्ति का सृजन, आधारभूत ढांचे को विकसित कर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना आदि। इस योजना में 100 करोड़ मानव दिवसों के सृजन का प्रस्ताव है। इस जनपद औरैया में इस योजना से काफी गरीब लाभान्वित हुये हैं और सभी आवश्यकता की वस्तुओं को जुटाने में कामयाब हुए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना- यह योजना शिक्षित गरीब बेरोजगार के लिये है। सन् 2009-10 तक इसके अन्तर्गत लगभग 4.20 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिससे निर्धनता निवारण में आशातीत सफलता मिली।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम

सरकार ने सन् 2005 में यह अधिनियम पारित किया तथा सन् 2006-07 में 200 जिलों में सर्वप्रथम लागू किया। वर्ष 2008-09 में 625 जिलों में लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य था कि गांव में रह रहे गरीबों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार वेतन उपलब्ध कराया जाये। 2010-11 में इस योजना से लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभ मिला। जनपद औरैया में 68502 परिवारों को 3076000 मानव दिवस रोजगार मिला।

इसका परिणाम रहा कि महिला व प्रुष मजदूरों का पलायन शहर की ओर रुका, बेरोजगारी घटी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आवास में तथा रहन सहन के स्तर में स्धार आया जो गरीबी निवारण का आधार है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 योजनायें हैं जो गरीबों के लिये हैं जिनका लाभ प्रत्यक्ष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रह रहे शहरी तथा ग्रामीणों को प्राप्त होता है। जनपद औरैया के दोनों विकास खण्ड अजीतमल तथा बिधूना के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं का लाभ मिला है जिससे गरीबी दूर हुई है, जीने का स्तर बढ़ा है। हाँ इन योजनाओं का पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है जिसके लिये सरकारी मशीनरी तथा लक्षित सम्दाय काफी हद तक स्वयं जिम्मेदार हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये जागरूक होना पड़ेगा तथा अपना अधिकार जताना पड़ेगा तभी गरीबी निवारण में पूरा सहयोग मिलेगा।

योजनाकाल के कुछ शुरुआती योजनाओं में यह धारणा रही कि यदि कृषि व औद्योगिक विकास को तेज कर दिया जाये तो देश में रोजगार में वृद्धि हो जायेगी। लेकिन बाद के वर्षा में योजना आयोग ने अनुभव किया कि इससे रोजगार में बहु त अधिक वृद्धि नहीं हुई है तो आगे की योजनाओं को रोजगार प्रधान बनाने पर बल दिया जाने लगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग ने जय प्रकाश नारायण द्वारा संचालित 'सर्वोदय योजना' के काफी सिद्धान्तों को स्वीकार करते हुये आयोग का गठन किया। इस

योजना का प्रमुख उद्देश्य था- 'अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना।' गरीबी निवारण से सम्बन्धित कई तथ्य इसमें शामिल थे, जैसे- आय व सम्पत्ति की असमानता को समाप्त करना, सहकारी खेती का विकास करना, भूमि का पुनः वितरण करना, सम्पूर्ण राज्य की आय का 50 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय किया जाना आदि। तब से लेकर वर्तमान तक प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में 'गरीबी निवारण' प्रमुख उद्देश्य रहा है। दस पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो चुकी हैं व ग्यारहवीं योजना भी अन्तिम पायदान पर है, इन सभी में निर्धनता को दूर करने हेतु विभिन्न प्रयासों को शामिल किया है-

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक)

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2376 करोड़ रु. व्यय करने का अनुमोदन किया गया लेकिन वास्तविक व्यय 1960 करोड़ रु. ही हु आ। इस योजना में गरीबी को दूर करने के लिये दो विशेष कार्यक्रम चलाये गये, प्रथम साम्दायिक विकास कार्यक्रम तथा दवितीय राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1 अक्टूबर 1952 से चलाई गई तथा यह 55 क्षेत्रों में लागू की गई। बाद में इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। ग्रामीणों की आर्थिक व सामाजिक दशा स्धारने के लिए काफी प्रयास किये गये। खाद्य समस्या को स्धारना, लोगों के जीवन स्तर में स्धार करना, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय प्रदान करना, सिंचाई के साधनों, बिजली तथा आवास आदि की व्यवस्था करना शामिल थे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक)

इस योजना में 4672 करोड़ रु. व्यय किये गये। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 'समाजवादी समाज' की स्थापना करना था, जिससे गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर किया जा सके। औद्योगीकरण का विस्तार करके रोजगार में वृहद विस्तार पर जोर दिया गया। आर्थिक शक्ति के समान वितरण पर जोर देकर गरीबी को हटाने पर जोर दिया गया। व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस योजना में 65 लाख व्यक्तियों को कृषि से बाहर अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक)

इस योजना में 8577 करोड़ रु. व्यय किये गये। इस योजना में भी गरीबी हटाने के मूल तत्वों पर ही ध्यान केन्द्रित रखा गया। इसमें खादयान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि, धन व आय की असमानता में कमी, आधारभूत उदयोगों का विस्तार आदि उददेश्यों पर बल दिया गया। इसमें साम्दायिक विकास कार्यक्रम पर 288 करोड़ रु. व्यय किया गया। अक्टूबर 1963 तक सम्पूर्ण देश में इस कार्यक्रम को लागू करने का लक्ष्य रखा गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी की स्थिति में स्धार करना था। आर्थिक रूप से पिछडे वर्गा के कल्याण के लिये पहली योजना में रु. 30 करोड, दवितीय योजना में रु. 79 करोड़ तथा तृतीय योजना में इसे बढ़ाकर रु. 114 करोड़ कर दिया गया। तीनों योजनाओं की समाप्ति के

बाद भी गरीबी निवारण में सरकार को सफलता नहीं मिली और न ही जीवन-स्तर में कोई विशेष सुधार हो पाया।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक)

इस योजना की व्यय राशि रु. 15779 करोड़ रही है। चतुर्थ योजना से पूर्व युद्ध सूखा, अकाल, रुपये के मूल्य में गिरावट तथा विदेशी सहायता में बाधा तथा मूल्य वृद्धि जैसी समस्याओं के कारण यह योजना 3 वर्ष देरी से प्रारम्भ हो सकी। इसमें गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुये अनाज तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमत-स्तर में स्थिरता तथा आय व धन के वितरण में समानता पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने तथा उद्योगों में 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि करने पर जोर दिया गया।

इस योजना में सामाजिक सेवाओं तथा विविध पर 3153 करोड़ रु. व्यय किये गये जो कुल व्यय का 19.5 प्रतिशत था। इस योजना के प्रारूप में लिखा है कि- सामाजिक न्याय तथा समानता देश के योजना आयोग के मुख्य लक्ष्यों में से एक है अर्थात् विकास के लाओं का सभी वर्गा में समान रूप से बंटवारा। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य रखा गया।

बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए 1971 में ग्रामीण रोजगार त्वरित कार्यक्रम 3 वर्ष की अविध के लिये 50 करोड़ रु. की लागत से चलाया गया तथा इसी अविध में लघु तथा सीमान्त कृषक, खेतिहर

मजदूर विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई, इसका लक्ष्य इन सभी को पहचान कर उनके लिए उपयुक्त नीति का निर्माण किया जा सके।

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक)

इस योजना की व्यय राशि रु. 39426 करोड़ आंकी गई। चार योजनाओं से सबक लेते हुये पांचवीं योजना का प्रमुख उददेश्य ही 'निर्धनता को दूर करना' तथा 'आत्मनिर्भरता की अवस्था' को प्राप्त करना रहा। इसको प्राप्त करने के लिये रोजगार का विस्तार करना और आवश्यक हो गया। इन उददेश्यों की प्राप्ति के लिये मुख्य लक्ष्यों का निर्धारण किया गया-(1) राष्ट्रीय आय में 4.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि (2) रोजगार बढ़ाने वाले उत्पादन का विस्तार करना (3) न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाना (4) समाज कल्याण कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाना (5) कृषि क्षेत्र में 3.94 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करना (6) देश के आधारभूत उद्योगों तथा साधारण उपभोग की वस्त्यें बनाने वाले उदयोगों का 7.9 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि करना (7) वितरण प्रणाली की न्यायपूर्ण व्यवस्था करना (8) कीमतों, वेतनों तथा आय का सम्चित सन्त्लन स्थापित करना (9) सामाजिक, आर्थिक तथा क्षेत्रीय असमानतायें घटाना।

इस योजना में गरीबी उन्मूलन के लिये कई श्रम प्रधान योजनायें बनाई गईं तािक बेरोजगारी को घटाया जा सके। इस योजना काल में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) की रूपरेखा तैयार की गई तथा कुछ विकास खण्डों में लागू किया गया। इसमें पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 4.52 करोड़ तक पहुंच गई थी। निर्धनता उन्मूलन में यह योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त 1976-77 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में 50-50 प्रतिशत केन्द्र तथा राज्य सरकार व्यय करती थी।

छठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक)

इस योजना का कुल व्यय रु. 1,09,292 करोड़ अंकित किया गया। इसमें साफ तौर पर स्वीकार किया गया है-"रोजगार के क्षेत्र में स्थिति बहुत ही अधिक असंतोषजनक है।" राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 27वें दौर में विशेषज्ञों की समिति ने बेरोजगारी के तीन अनुमान तैयार किये। इन अनुमानों के आधार पर बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ी है।

भारत में बेरोजगारी का आकार एवं दर

स्थिति	1980	1977-78 प्रतिशत	
	लाख	प्रतिशत	
सामान्य स्थिति	120.0	4.48	4.23
साप्ताहिक स्थिति	121.8	4.54	4.48
दैनिक स्थिति	207.4	7.74	8.18
कुल श्रम शक्ति	2680.5		

बेरोजगारी को दूर कर गरीबी कम करने के लिए इस योजना में कई उददेश्य निर्धारित किये गये- (1) साधनों की उत्पादकता तथा क्शलता में वृद्धि करना (2) आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना (3) ऊर्जा के देशी साधनों का विकास करना (4) आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से साधनहीन लोगों का जीवन स्तर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के द्वारा उन्नत करना (5) आय व सम्पत्ति की असमानता कम करना (6) क्षेत्रीय असमानता कम करना (7) प्राकृतिक साधनों का उपयुक्त विकास करना (8) उपयुक्त शिक्षा, संचार तथा संस्थागत कार्य नीतियों के दवारा विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गां की सिक्रय सहभागिता को बढ़ावा देना।

छठवीं योजना में गरीबी मानक ग्रामीण क्षेत्र में रु. 76 औसत आय प्रतिमाह व शहरी क्षेत्र में रु. 88 औसत आय प्रतिमाह माना गया। इस मानक के आधार पर लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे थी। इसलिये इस योजना में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) व राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम (NREP), IRDP दवारा मूल रूप में गरीब परिवारों में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की नीति अपनाई गई ताकि उत्पादक इतनी आय कमा सकें कि वे निर्धनता रेखा को पार कर सकें। NREP का उददेश्य मौसमी तथा अल्प रोजगार काल में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम नियोजन क्षमता को बढाया जा सके और

आधारभूत संरचना के निर्माण द्वारा उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाये। NREP को और बढ़ावा देने के लिये भूमिहीन श्रमिकों के लिये ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (RLEGP) को 1983 में लागू किया गया। 1983-84 में इस पर 100 करोड़ व 1984-85 में 300 करोड़ व्यय किये गये। बेरोजगारी व अल्प रोजगार को दूर करने के लिये 3000 से 4000 लाख मानव दिन का अतिरिक्त प्रतिवर्ष रोजगार कायम करने का संकल्प भी किया गया। इन तीनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण विकास व ग्रामीण रोजगार का विस्तार करके ग्रामीण निर्धनता को दूर करना था।

इस योजनावधि में 15000 लाख मानव दिन का रोजगार कायम करना था, जबकि 17750 लाख मानव दिन रोजगार कायम किया गया जो कि निर्धनता निवारण में महत्वपूर्ण योगदान है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो कि 2 अक्टूबर 1980 से देश के 5011 ब्लाकों में चालू हो गया। 5 वर्षा (1980-1985) के दौरान इसके अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 600 गरीब परिवारों की सहायता करने का निश्चय किया गया। कुल 150 लाख परिवारों जिसमें 750 लाख व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे थे, लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। यह कार्यक्रम अनुदानों की एक क्रमिक योजना पर आधारित था, जिसके आधीन पूँजी लागत को 25 प्रतिशत छोटे किसानों को, 33.3 प्रतिशत सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों को और 50 प्रतिशत जनजातीय लाभ पाने वालों को अन्दान के रूप में प्रदान किया जाना था। अन्त्योदय सिद्धान्त का अनुसरण करते हुये सबसे पहले लाभ गरीब तथा बाद में एक उर्ध्वक्रम में अन्य गरीब वर्गा तक लाभ पहुँ चाना था। 1980-81 से इसे देश के सभी ब्लाकों में लागू कर दिया गया। 1999 तक यह एक मुख्य स्वरोजगार योजना के रूप में चलती रही बाद में इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में इसे बदल दिया गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक)

इस योजना काल का सम्पूर्ण व्यय रु. 2,18,730 करोड़ आंका गया। इस योजना के नीति पत्र के अनुसार "सातवीं योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्त विकास, समानता, सामाजिक न्याय, आत्म निर्भरता, कुशलता तथा उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त करना थे। "इसमें निर्धनता निवारण के लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित रखा गया- (1) विकास के कार्य में सभी वर्गा का सहयोग लेना (2) उत्पादक रोजगार का विस्तार करना (3) गरीबी व क्षेत्रीय असमानता कम करना (4) खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना (5) शिक्षा,

स्वास्थ्य व पोषण की स्विधायें गरीब वर्ग तक पहुंचाना। इसमें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 28 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना लागू करने की घोषणा की। इसमें उस समय की संचालित कई रोजगार योजनाओं को मिला दिया गया था। ग्राम रोजगार कार्यक्रम जो 55 प्रतिशत पंचायतों तक ही पहुंच पाये जबिक जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत तक पहुंचना था। ग्राम रोजगार कार्यक्रमों में केन्द्र एवं राज्य सरकारों दवारा दी सहायता का आधार 50:50 था, वहीं जवाहर रोजगार योजना में केन्द्रीय सहायता दवारा 80 प्रतिशत तथा राज्य सरकारों का भाग 20 प्रतिशत होगा। इस योजना में कम से कम 30 प्रतिशत गरीब स्त्रियों को सहायता उपलब्ध कराना है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक)

इस योजना पर सरकार ने कुल 4,85,457 करोड़ रु. व्यय किया। गरीबी निवारण के लिये इस योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर जोर दिया गया।

तालिका आठवीं योजना के लिये बेरोजगारी प्रक्षेपण

(लाख बेरोजगार व्यक्ति)

1.	1990 के आरम्भ में अवशिष्ट बेरोजगार	280
2.	1990-95 के दौरान श्रम शक्ति में नव प्रवेशक	370
3.	आठवीं योजना के लिये कुल बेरोजगार	650

इस योजना के कई उद्देश्य हैं जो निर्धनता निवारण में सहयोग करते हैं जैसे- 20वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिये रोजगार सृजित करना, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सुलभता तथा सभी व्यक्तियों के लिये निरक्षरता उन्मूलन करना, साफ पानी (पीने योग्य) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था करना व मल ढोने की व्यवस्था को समाप्त करना, खाद्य पदार्थां में आत्मनिर्भरता, कृषि का विकास तथा विविधीकरण करना।

ये सारे उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी में कमी करने और गरीबी को दूर करने में सहायक होंगे। साक्षरता वृद्धि व जनसंख्या नियंत्रण गरीबी को काफी हद तक कम करेंगे।

इस योजना के अन्तर्गत पहले से संचालित सामुदायिक योजनाओं में अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 11,541 करोड़ रु. के विनियोग द्वारा 108 लाख परिवारों को सहायता दी गई। इस प्रकार प्रति परिवार विनियोग 10,666 रु. किया गया। कुल 108 लाख परिवारों में 50 प्रतिशत अनुसूचित/जनजातियों से सम्बन्धित थे। लेकिन लाभ प्राप्त करने वाली स्त्रियों की मात्रा केवल 34 प्रतिशत थी, जो कि 40 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से कम थी। इसके अलावा सरकार ने परिवार उधार योजना के आकार का विस्तार किया, तािक परिवार गरीबी की रेखा को पार कर

सके। इसके अन्तर्गत प्रति परिवार विनियोग के स्तर का लक्ष्य 20,000-25,000 रु. रखा गया। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम तथा शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना तैयार हुई जिसे 1997 के अंत तक गरीबी उन्मूलन के लिये क्रियान्वित किया गया। इस योजना की लागत केन्द्र व राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटी गई। उक्त योजना की गरीबी निवारण में अहम भूमिका रही है।

नवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक)

इस पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय 8,13,998 करोड़ रु. आया। इस योजना में तेज गति से बढ़ती हुई श्रम शक्ति के लिये 1997-2002 की अविध में 5.2 करोड़ रोजगार के अवसर कायम करने होंगे। इस योजना में बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार के संयुक्त अनुपात का अनुमान लगाया गया।

तालिका बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार का संयुक्त अनुपात (1993-94)

क्र.सं.		श्रम शक्ति का अनुपात
1	श्रम शक्ति	100.00
2	रोजगार प्राप्त	89.55
3	बेरोजगार	2.02
4	अल्प रोजगार प्राप्त	8.43
5	बेरोजगार और अल्प रोजगार	10.45

स्रोतः योजना आयोग नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)

इस योजना में 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया तथा रोजगार में 2.47 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की प्रत्याशा की गई। इस प्रकार रोजगार क्षमता जो 1997 में 39.14 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 2002 तक 44.15 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया। बेरोजगारी की वृद्धि दर को 1.87 प्रतिशत (1992-97) से घटाकर 1.66 प्रतिशत (1997-2002) करना निर्धारित किया गया।

	-6		_		
तालिकाः	лαі	याजना	Фh	राजगार	लक्ष्य

क्र.सं.	क्षेत्र	उपलब्ध कराये जाने वाले रोजगार के	प्रतिशत
		अवसर (लाख में)	
1	कृषि	242	48.2
2	सामुदायिक, सामाजिक एवं	74	15
	वैयक्तिक सेवा क्षेत्र		
3	थोक एवं परचून व्यापार	69	13.7
4	विनिर्माण क्षेत्र	47	9.3
	कुल	432	86.2

दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक)

इस योजना की कुल व्यय राशि 16,18,460 करोड़ रुपये रही है। दसवीं योजना का लक्ष्य निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या को 26 प्रतिशत से कम करके 21 प्रतिशत करना था। इन 5 वर्षा में 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाये हैं-

ग्रामीण उद्योगों का विकास ताकि गैर कृषि रोजगार प्रदान किया जा सके। मजदूरी रोजगार कार्यक्रम में रोजगार अवसर उत्पन्न की सम्भावना पर जोर दिया गया। इसमें मजदूरी का भुगतान कुछ नकदी के साथ खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। इससे ग्रामीण अधोसंरचना का भी विकास हुआ। निर्धनता उन्मूलन में स्थानीय जनता की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया गया। सरकार ग्राम सभाओं को वितीय सहायता तभी देती है जब कार्यक्रम के कुल खर्च का कुछ हिस्सा स्थानीय जनता द्वारा वहन किया जाता है। सामान्य बलॉक में कुल खर्च का 15

प्रतिशत खर्च स्थानीय जनता देती है, जबिक जनजाति/ निर्धन ब्लॉक में स्थानीय जनता क्ल खर्च का 5 प्रतिशत योगदान देती है। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन पर अधिक ध्यान दिया गया। सीमान्त व छोटे किसानों, भूमिहीन किसानों, वन उत्पादों को इकट्ठा करने वालों, कारीगरों और अप्रशिक्षित श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। स्त्रियों की व निर्धनों की रोजगार में सहभागिता बढाने के लिये कार्य के बदले अनाज योजना श्रूर की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जो कि वर्ष 2005 में पारित किया गया, इसका मुख्य उददेश्य गांवों के निर्धन लोगों को रोजगार की गारन्टी देना है। 2 फरवरी 2006 से इस अधिनियम को देश के 200 जिलों में लागू किया गया। इस अधिनियम में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार दिलवाने का आश्वासन दिया गया है तथा मजदूरी राज्य सरकारों दवारा निर्धारित न्यूनतम वैधानिक दरों पर दी जाती है। इसके साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया गया कि धन आवंटित योजना पर ही खर्च किया जाये।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2007 से 31 **मार्च** 2012 तक)

इस योजना का आकार 36,44,718 करोड़ रुपये का रखा गया है जिसमें केन्द्र की भागीदारी 21,56,571 करोड़ रुपये व राज्यों की भागीदारी 14,88,147 करोड़ रुपये की है। इस योजना के मुख्य उददेश्य हैं- निर्धनता अन्पात में कमी लाना, श्रम बल वृद्धि को उच्च गुणवता युक्त रोजगार उपलब्ध कराना, जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाना तथा स्वच्छ पेयजल की लगातार पहुंच बढ़ाना। गरीबी निवारण को इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका लक्ष्य है कि वर्तमान गरीबी अन्पात को योजना के अंत तक 10 प्रतिशत तक लेकर आना। इसके लिये महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अन्सूचित जातियों जनजातियों के विकास के लिये कई योजनायें प्रारम्भ की गईं हैं।

- वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय दोग्नी हो जायेगी।
- 6-7 करोड़ नये रोजगार का सृजन किया जायेगा। शिक्षित बेरोजगार दर को घटाकर
 प्रतिशत से कम कर दिया जाये।
- 3. स्कूली पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे का प्रतिशत 52 से घटाकर 20 कर दिया जाये।
- 4. साक्षरता दर में 85 प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये।
- 5. वर्ष 2009 तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक बिजली पहुंचाई जाये।
- 6. कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाकर 4 प्रतिशत, औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाकर 10.5 प्रतिशत व 9.9 प्रतिशत करना है।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान के लिये डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2009 में पेश की। इसके अनुसार- समाज का समृद्ध वर्ग जो कुछ विशेष सुविधायें प्राप्त कर रहा है, उसे बी.पी.एल. परिवारों की सूची में से स्वतः निकाल देना चाहिये। दूसरी तरफ समाज के वंचित वर्ग को स्वतः बीपीएल परिवारों की सूची में शामिल कर लेना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिये एस.आर. हसीन कमेटी गठित की गई है। इसकी रिपोर्ट अभी पेश नहीं की गई है।

सन्दर्भ

- केदारनाथ पी., द इकोनोमिक्स ऑफ ए बैकवर्ड रीजन इन बैकवर्ड इकोनोमी, साइन्टिफिक बुक एजेन्सी।
- खान एन.ए., प्राब्लम ऑफ ग्रोथ इन अण्डरडेवलप्ड इकोनोमी इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
- 3. गुप्ता एच.सी., डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे।
- गुप्ता एस.सी., इण्डियाज एग्रेरियन स्ट्रक्चर, 1966, एशिया पब्लिकेशन हाउस, बाम्बे।
- घोष अलक, इण्डियन इकोनोमी इट्स नेचर एण्ड प्राब्लम, वर्ल्ड प्रेस, कलकता।
- चन्द्र सतीश, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इण्डिया, चुग पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद।
- 7. जैन एच.सी., प्राब्लम एण्ड पॉलिसी इन एग्रीकल्चर, किताब महल, इलाहाबाद